



राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार



संजय कुमार सिंह, भा०प्र०से०
कार्यपालक निदेशक

अतिआवश्यक/तुरंत

पत्रांक: SHSB/PM/531/2018/...8.19.2021

सेवा में,

सभी सिविल सर्जन

सभी जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति

सभी जिला अनुश्रवण एवं मूल्यांकन पदाधिकारी, जिला स्वास्थ्य समिति

निबंधित/ई-मेल

पटना, दिनांक 24/05/2021

विषय: सरकारी अस्पतालों में औषधियों की अधियाचना प्राप्ति, एवं आपूर्ति/वितरण DVDMS पोर्टल पर करने के संबंध में।

प्रसंग: स्वास्थ्य विभागीय आदेश ज्ञापांक- SHSB/PM/531/18/535, दिनांक 08.05.2021
महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि स्वास्थ्य विभागीय प्रासंगिक आदेश द्वारा औषधियों/चिकित्सकीय सामग्रियों की अधियाचना, आपूर्ति की निरंतरता, वितरण प्रबंधन की सुगमता तथा इनमें पारदर्शिता बनाये रखने हेतु DVDMS को पूर्णरूपेण क्रियाशील एवं संस्थागत बनाने का निदेश दिया गया है।

2. सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में BMSICL द्वारा आपूर्ति की जा रही औषधियों के साथ-साथ जिला स्तर/स्वास्थ्य संस्थान स्तर पर स्थानीय क्रय के माध्यम से क्रय की गई सभी प्रकार की औषधियों की पूर्ण विवरणी DVDMS में अनिवार्य रूप से प्रविष्ट करने हेतु राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के पत्रांक 2303 दिनांक 04.07.2018 द्वारा निदेश दिया गया है।

3. स्वास्थ्य विभागीय प्रासंगिक आदेश द्वारा औषधियों की Offline/Manual अधियाचना (Indenting), प्राप्ति (Receipt) एवं आपूर्ति/वितरण (Supply/Distribution) पूर्णतः निषिद्ध कर देने के बावजूद भी प्रायः सभी स्वास्थ्य संस्थानों में औषधियों की अधियाचना, प्राप्ति, आपूर्ति/वितरण का कार्य पूर्णरूपेण DVDMS के माध्यम से नहीं किया जाना खेदजनक है। फलतः Central Dash-board द्वारा जारी राज्य की Ranking पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। साथ ही औषधियों की आपूर्ति एवं मरीजों के बीच औषधियों का समुचित प्रबंधन नहीं हो पाने के कारण स्वास्थ्य संस्थानों में औषधियों के Stock Out की स्थिति बनी रहती है एवं इससे Real Time Inventory Tracking में भी कठिनाई उत्पन्न हो रही है।

4. उल्लेखनीय है कि DVDMS के माध्यम से औषधियों की अधिप्राप्ति, आपूर्ति एवं वितरण का कार्य किये जाने से भविष्य के खपत का आकलन करने, तिथिवाद होने वाली औषधियों का पूर्वानुमान करने, सभी प्रशासनिक स्तर पर बेहतर योजना एवं प्रबंधन करने एवं उसकी निगरानी इत्यादि के कई लाभ होते हैं।

5. सरकारी अस्पतालों के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, उपाधीक्षक, अधीक्षक औषधियों/चिकित्सकीय सामग्रियों का अवश्यकता आधारित अधियाचना (Indent) फार्मासिस्ट/भंडारपाल के माध्यम से DVDMS पोर्टल पर कराना सुनिश्चित करेंगे। इसी प्रकार हेल्थ एंड वेलनेस सेन्टर के लिए संबंधित CHO द्वारा ANM के सहयोग से औषधियों का DVDMS पर online indent संबंधित CHC/PHC को किया जायेगा। स्वास्थ्य उपकेन्द्र तथा जिन HWC पर CHO पदस्थापित नहीं है, वहाँ ANM द्वारा सीधे संबंधित CHC/PHC को Indent किया जायेगा।

6. DVDMS पर त्रुटिरहित आँकड़ों की प्रविष्टि एवं संधारण, समुचित प्रबंधन एवं पूर्णरूपेण क्रियाशीलता के लिए जिलास्तर पर जिला अनुश्रवण एवं मूल्यांकन पदाधिकारी नोडल होंगे। इसी प्रकार प्रखंड स्तर पर DVDMS से संबंधित उक्त कार्यों के लिए प्रखंड मूल्यांकन एवं अनुश्रवण सहायक (BM&E) नोडल होंगे। जिलान्तर्गत चिन्हित HWC पर EDL के अनुरूप औषधि की उपलब्धता एवं मरीजों को प्रेस्काईव औषधियों के वितरण व्यवस्था के समुचित प्रबंधन हेतु जिला योजना समन्वयक को नोडल पदाधिकारी नामित किया जाता है।

7. अतः उपर्युक्त निदेशों का तत्परता एवं दृढ़ता से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए तथा किसी भी परिस्थिति में औषधियों की Offline/Manual अधियाचना (Indenting), प्राप्ति (Receipt) एवं

जीवन्त बिहार... सपना हो साकार



राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार



आपूर्ति/वितरण (Supply/Distribution) किया जाना विभागीय आदेश की अवहेलना मानी जायेगी। साथ ही, जिला अन्तर्गत सरकारी अस्पताल में आवश्यक औषधि की सूची (EDL) में निहित सभी प्रकार की औषधियों की शत-प्रतिशत उपलब्धता को निरंतर को बनाये रखते हुए मरीजों को औषधियों के वितरण की समुचित व्यवस्था को अत्यधिक सुदृढ़ किया जाय।

विश्वासभाजन

(संजय कुमार सिंह)

जीवन्त बिहार... सपना हो साकार

स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना - 800 014

दूरभाष : 0612-2290328, वेबसाइट : <http://shs.bihar.gov.in>



राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार



संजय कुमार सिंह, भा०प्र०से०
कार्यपालक निदेशक

अतिआवश्यक/तुरंत

पत्रांक: SHSB/PM/531/2018/.....

सेवा में,

सभी सिविल सर्जन

सभी जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति

सभी जिला अनुश्रवण एवं मूल्यांकन पदाधिकारी, जिला स्वास्थ्य समिति

निबंधित/ई-मेल

पटना, दिनांक

विषय: सरकारी अस्पतालों में औषधियों की अधियाचना प्राप्ति, एवं आपूर्ति/वितरण DVDMS पोर्टल पर करने के संबंध में।

प्रसंग: स्वास्थ्य विभागीय आदेश ज्ञापांक- SHSB/PM/531/18/535, दिनांक 08.05.2021
महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि स्वास्थ्य विभागीय प्रासंगिक आदेश द्वारा औषधियों/चिकित्सकीय सामग्रियों की अधियाचना, आपूर्ति की निरंतरता, वितरण प्रबंधन की सुगमता तथा इनमें पारदर्शिता बनाये रखने हेतु DVDMS को पूर्णरूपेण क्रियाशील एवं संस्थागत बनाने का निदेश दिया गया है।

2. सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में BMSICL द्वारा आपूर्ति की जा रही औषधियों के साथ-साथ जिला स्तर/स्वास्थ्य संस्थान स्तर पर स्थानीय क्रय के माध्यम से क्रय की गई सभी प्रकार की औषधियों की पूर्ण विवरणी DVDMS में अनिवार्य रूप से प्रविष्ट करने हेतु राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के पत्रांक 2303 दिनांक 04.07.2018 द्वारा निदेश दिया गया है।

3. स्वास्थ्य विभागीय प्रासंगिक आदेश द्वारा औषधियों की Offline/Manual अधियाचना (Indenting), प्राप्ति (Receipt) एवं आपूर्ति/वितरण (Supply/Distribution) पूर्णतः निषिद्ध कर देने के बावजूद भी प्रायः सभी स्वास्थ्य संस्थानों में औषधियों की अधियाचना, प्राप्ति, आपूर्ति/वितरण का कार्य पूर्णरूपेण DVDMS के माध्यम से नहीं किया जाना खेदजनक है। फलतः Central Dash-board द्वारा जारी राज्य की Ranking पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। साथ ही औषधियों की आपूर्ति एवं मरीजों के बीच औषधियों का समुचित प्रबंधन नहीं हो पाने के कारण स्वास्थ्य संस्थानों में औषधियों के Stock Out की स्थिति बनी रहती है एवं इससे Real Time Inventory Tracking में भी कठिनाई उत्पन्न हो रही है।

4. उल्लेखनीय है कि DVDMS के माध्यम से औषधियों की अधिप्राप्ति, आपूर्ति एवं वितरण का कार्य किये जाने से भविष्य के खपत का आकलन करने, तिथिवाद होने वाली औषधियों का पूर्वानुमान करने, सभी प्रशासनिक स्तर पर बेहतर योजना एवं प्रबंधन करने एवं उसकी निगरानी इत्यादि के कई लाभ होते हैं।

5. सरकारी अस्पतालों के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, उपाधीक्षक, अधीक्षक औषधियों/चिकित्सकीय सामग्रियों का अवश्यकता आधारित अधियाचना (Indent) फार्मासिस्ट/भंडारपाल के माध्यम से DVDMS पोर्टल पर कराना सुनिश्चित करेंगे। इसी प्रकार हेल्थ एंड वेलनेस सेन्टर के लिए संबंधित CHO द्वारा ANM के सहयोग से औषधियों का DVDMS पर online indent संबंधित CHC/PHC को किया जायेगा। स्वास्थ्य उपकेन्द्र तथा जिन HWC पर CHO पदस्थापित नहीं है, वहाँ ANM द्वारा सीधे संबंधित CHC/PHC को Indent किया जायेगा।

6. DVDMS पर त्रुटिरहित आँकड़ों की प्रविष्टि एवं संधारण, समुचित प्रबंधन एवं पूर्णरूपेण क्रियाशीलता के लिए जिलास्तर पर जिला अनुश्रवण एवं मूल्यांकन पदाधिकारी नोडल होंगे। इसी प्रकार प्रखंड स्तर पर DVDMS से संबंधित उक्त कार्यों के लिए प्रखंड मूल्यांकन एवं अनुश्रवण सहायक (BM&E) नोडल होंगे। जिलान्तर्गत चिन्हित HWC पर EDL के अनुरूप औषधि की उपलब्धता एवं मरीजों को प्रेस्काईव औषधियों के वितरण व्यवस्था के समुचित प्रबंधन हेतु जिला योजना समन्वयक को नोडल पदाधिकारी नामित किया जाता है।

7. अतः उपर्युक्त निदेशों का तत्परता एवं दृढ़ता से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए तथा किसी भी परिस्थिति में औषधियों की Offline/Manual अधियाचना (Indenting), प्राप्ति (Receipt) एवं

जीवन्त बिहार... सपना हो साकार



राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार



आपूर्ति/वितरण (Supply/Distribution) किया जाना विभागीय आदेश की अवहेलना मानी जायेगी। साथ ही, जिला अन्तर्गत सरकारी अस्पताल में आवश्यक औषधि की सूची (EDL) में निहित सभी प्रकार की औषधियों की शत-प्रतिशत उपलब्धता को निरंतर को बनाये रखते हुए मरीजों को औषधियों के वितरण की समुचित व्यवस्था को अत्यधिक सुदृढ़ किया जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(संजय कुमार सिंह)

ज्ञापांक:.....१७.....
प्रतिलिपि:-

पटना, दिनांक.....२५/०५/२०२१

- अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार को सादर सूचनार्थ।
- सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार को सूचनार्थ।
- प्रबंध निदेशक, BMSICL, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- सभी निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाये बिहार/सभी अपर निदेशक स्वास्थ्य सेवायें/सभी राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी, राज्य स्वास्थ्य समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवायी हेतु प्रेषित।
- सिस्टम एनालिस्ट-सह- डाटा ऑफिसर राज्य स्वास्थ्य समिति को सूचनार्थ एवं निदेश है कि पत्र को अधिकारिक वेबसाईड पर अपलोड किया जाये।

कार्यपालक निदेशक

जीवन्त बिहार... सपना हो साकार

स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना - 800 014

दूरभाष : 0612-2290328, वेबसाइट : <http://shs.bihar.gov.in>

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

संख्या SHS&P.M/531/18/535

पटना, दिनांक...08/05/2021

आदेश

"Free Drug Service Initiative" के तहत सरकारी अस्पतालों में मरीजों को निःशुल्क मुहैया करायी जा रही औषधियों/शल्य सामग्रियों की आपूर्ति एवं वितरण आदि का अनुश्रवण भारत सरकार के दिशा-निर्देश के आलोक में ई-औषधि (Drugs and Vaccines Distribution Management System-DVDMS) ऑनलाईन सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जा रहा है। बिहार राज्य में DVDMS प्रणाली मई 2017 से स्वचालित है।

2. ई-औषधि (DVDMS) में आवश्यक औषधियों/शल्य सामग्रियों की आपूर्ति हेतु ऑनलाईन अध्याचना भेजने तथा औषधियों/शल्य सामग्रियों की आपूर्ति प्राप्त होने के उपरान्त आपूरित औषधियों/शल्य सामग्रियों की भंडार प्रविष्टि एवं जिलान्तर्गत स्वास्थ्य संस्थानों में इन औषधियों/शल्य सामग्रियों के वितरण की प्रविष्टि अद्यतन करने का प्रावधान निहित है। ई-औषधि (DVDMS) में स्थानीय क्रय की प्रविष्टि करने हेतु तकनीकी सुविधा भी प्रदत्त है।

3. Central DVDMS Dashboard के विभिन्न सूचकांकों में अपेक्षित प्रगति लाने हेतु सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में औषधियों/शल्य सामग्रियों की अध्याचना (Indenting), प्राप्ति (Receipt) एवं आपूर्ति/वितरण (Supply/Distribution) की प्रविष्टि DVDMS पर अचूक रूप से किया जाना अनिवार्य है, ताकि Stock-Out एवं औषधियों के तिथिवाद जैसी विषम स्थिति से बचा जा सके।

4. राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के पत्रांक 4337, दिनांक 07.11.2017 द्वारा निदेशित है कि औषधियों की आपूर्ति हेतु BMSICL को Online अध्याचना एवं आपूर्ति प्राप्त होने के उपरान्त भंडार की Online प्रविष्टि तथा जिलान्तर्गत स्वास्थ्य संस्थानों में औषधियों के वितरण की Online प्रविष्टि ई-औषधि (DVDMS) में अनिवार्य रूप से किया जाय। पुनः राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के पत्रांक 2303, दिनांक 04.07.2018 द्वारा User manual की प्रति संलग्न करते हुये निदेश दिया गया है कि BMSICL द्वारा आपूर्ति की जा रही औषधियों/शल्य सामग्रियों के साथ-साथ जिला स्तर/स्वास्थ्य संस्थान स्तर पर स्थानीय क्रय के माध्यम से क्रय की गयी सभी प्रकार की औषधियों/शल्य सामग्रियों की पूर्ण विवरणी भी ई-औषधि (DVDMS) में अनिवार्य रूप से प्रविष्टि किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

5. यह भी उल्लेखनीय है कि राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के स्तर से DVDMS के क्रियान्वयन एवं संचालन हेतु सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों के संबंधित चिकित्सा पदाधिकारियों/जिला अनुश्रवण एवं मूल्यांकन पदाधिकारी, भंडारपाल एवं फार्मासिस्ट आदि को विशिष्ट रूप से प्रशिक्षित करते हुये सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में कम्प्यूटर, प्रिंटर एवं इंटरनेट की सुविधा प्रदान की गयी है। साथ ही, सभी जिला औषधि भंडार में DVDMS कार्य के निष्पादन हेतु एक-एक डाटा इन्ट्री ऑपरेटर भी उपलब्ध कराया गया है।

6. उक्त के बावजूद प्रायः सभी स्वास्थ्य संस्थानों में औषधियों/शल्य सामग्रियों की अधियाचना (Indenting), प्राप्ति (Receipt) एवं आपूर्ति/वितरण (Supply/Distribution) एवं Acknowledgement का कार्य पूर्णरूपेण DVDMS के माध्यम से नहीं किया जा रहा है। फलतः Central Dash Board द्वारा जारी राज्य की Ranking पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। साथ ही, औषधियों का सदुपयोग एवं उसके समुचित प्रबंधन नहीं हो पाने के कारण स्वास्थ्य संस्थानों में औषधियों के स्टॉक-आउट की स्थिति बनी रहती है।

7. विभिन्न कार्यक्रमों हेतु उपलब्ध बजटीय आबंटन का उचित प्रबंधन, जो एक जटिल एवं आवश्यक कार्य है, भी ई-औषधि (DVDMS) के माध्यम से किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त ई-औषधि (DVDMS) के माध्यम से औषधियों/चिकित्सकीय सामग्रियों की अधिप्राप्ति, आपूर्ति की निरंतरता, प्रबंधन की सुगमता तथा इनमें पारदर्शिता बनाये रखने के लिए निम्न कार्य भी कम समय में बेहतर तरीके से किये जा सकते हैं:-

- a) भविष्य के खपत का आकलन।
- b) आवश्यकता आधारित खरीद।
- c) FEFO के आधार पर आपूर्ति हेतु औषधियों का चयन।
- d) राज्य के सभी स्वास्थ्य संस्थानों की Drug Inventory का Online Tracking।
- e) विभिन्न प्रकार के Alert Generation की व्यवस्था।
- f) स्थानीय स्तर पर क्रय की गई औषधियों की प्रविष्टि।
- g) तिथिवाद होने वाली औषधियों का पूर्वानुमान लगाना।
- h) FMR कोड (बजट शीर्ष) एवं कार्यक्रम आधारित खर्च का आकलन करना।
- i) मुख्यालय द्वारा बेहतर पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण।
- j) सभी प्रशासनिक स्तर पर बेहतर प्लानिंग एवं कार्रवाई।
- k) आपूर्ति एवं Inventory पर समुचित नियंत्रण।
- l) औषधियों की गुणवत्ता पर नियंत्रण एवं उसकी निगरानी।
- m) जिलान्तर्गत स्वास्थ्य संस्थानों/रोगियों को Online औषधि उपलब्ध कराना।
- n) अन्तरडिपो/वेयरहाउस के बीच अधिक/कम औषधियों का स्थानान्तरण (Stock Transfer)।
- o) समय एवं कार्य अवधि का बचत।

8. उल्लेखनीय है कि उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति तभी संभव है जब DVDMS को पूर्णरूपेण क्रियाशील एवं संस्थागत किया जाये। इस निमित्त निम्न आदेश दिये जाते हैं :-

- a) राज्य के सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों द्वारा सभी प्रकार की औषधियों/शल्य सामग्रियों की अधियाचना ई-औषधि (DVDMS) के माध्यम से ही की जाएगी।
- b) BMSICL द्वारा राज्य के सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों को सभी प्रकार की औषधियों/शल्य सामग्रियों की आपूर्ति/वितरण अनिवार्य रूप से ई-औषधि (DVDMS) के माध्यम से ही की जाएगी।
- c) राज्य के सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों द्वारा BMSICL/ जिला औषधि भंडार अथवा किसी अन्य स्रोत से आपरित औषधियों/शल्य सामग्रियों की प्राप्ति के साथ ही

- d) राज्य के सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों द्वारा स्थानीय क्रय के माध्यम से प्राप्त की गयी सभी प्रकार की औषधियों/शल्य सामग्रियों की पूर्ण विवरणी की प्रविष्टि अनिवार्य रूप से ई-औषधि (DVDMS) पर की जाएगी।
- e) जिला औषधि भंडार/जिला अस्पताल औषधि भंडार/प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र औषधि भंडार/सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र औषधि भंडार/अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से संबद्ध सभी स्वास्थ्य संस्थानों/स्वास्थ्य उपकेंद्र/ए०एन०एम० को सभी प्रकार की औषधियों/शल्य सामग्रियों की आपूर्ति/वितरण अनिवार्य रूप से ई-औषधि (DVDMS) के माध्यम से की जाएगी।
- f) सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों द्वारा आपूर्ति प्राप्त होने के उपरान्त आपूरित औषधियों/शल्य सामग्रियों की भंडार प्रविष्टि अनिवार्य रूप से ई-औषधि (DVDMS) पर की जायेगी।
- g) BMSICL से आपूर्ति प्राप्त औषधियों एवं शल्य सामग्रियों का सत्यापन स्वास्थ्य विभागीय आदेश ज्ञापांक 09/क्रय 2-37/97-770(9)/2006, दिनांक 08.07.2006 एवं 63(7), दिनांक 23.08.2013 में निहित दिशा-निर्देशों के अनुरूप करते हुये तदनुसार DVDMS में औषधियों की प्राप्ति से संबंधित अनिवार्य प्रविष्टि का मिलान कर निरीक्षी पदाधिकारी आश्वस्त हो लेंगे। जिलान्तर्गत विभिन्न अस्पतालों/स्वास्थ्य केन्द्रों पर जिला औषधि भंडार से दवा आपूर्ति होने पर उसका पुनः सत्यापन एवं DVDMS पर प्रविष्टि कार्य कराया जाय। इस सत्यापन के पश्चात ही किसी नई आपूर्ति के स्टॉक का व्यवहार प्रारम्भ किया जाय। जिलों द्वारा स्थानीय स्तर पर क्रय की जा रही औषधियों एवं चिकित्सकीय सामग्रियों के भौतिक सत्यापन एवं DVDMS पर प्रविष्टि का दायित्व एवं जिम्मेवारी अस्पताल प्रबंधन में पदस्थापित पदाधिकारियों के पदीय उत्तरदायित्व में अर्न्तनिहित है।
- h) औषधियों/शल्य सामग्रियों की Offline/Manual अधियाचना (Indenting), प्राप्ति (Receipt) एवं आपूर्ति/वितरण (Supply/Distribution) पूर्णतः निषिद्ध की जाती है।

9. उपरोक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का दायित्व संबंधित सिविल सर्जन-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल/सदर अस्पताल के उपाधीक्षक, सरकारी अस्पतालों के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सरकारी औषधि भंडारों के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, जिला अनुश्रवण एवं मूल्यांकन पदाधिकारी तथा औषधि भंडार के भंडारपाल/फार्मासिस्ट की होगी। उपर्युक्त निर्देशों का अनुपालन नहीं होने पर उक्त पदाधिकारी/कर्मि सीधे रूप से उत्तरदायी माने जायेंगे एवं अनुशासनिक कार्रवाई के पात्र होंगे।

(प्रत्यय अमृत)

प्रधान सचिव

SHS8/PM/531/2018-535

ज्ञापांक/ पटना, दिनांक 08/05/2021..

प्रतिलिपि:-

- कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- राज्य औषधि नियंत्रक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- सभी प्राचार्य, अधीक्षक एवं विभागाध्यक्ष, चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक/सभी असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- सभी निदेशक/अधीक्षक, सरकारी स्वास्थ्य संस्थान/अतिविशिष्ट अस्पताल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थान के उपाधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- सभी जिला स्वास्थ्य समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव

स्वास्थ्य विभाग